

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 6(1)राज-6/2014/35

जयपुर, दिनांक:- 16-09-2015

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम 1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 20 खण्ड (ख) का उप खण्ड (III) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा राजस्थान सवर्ग के निम्नलिखित प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को जिन्हे कार्मिक (क-1) विभाग के आदेश क्रमांक प-3/2(3) कार्मिक/क-1/2014 दिनांक 02.06.2015 व 27.07.2015 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख जिलों में सहायक कलक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षणाधीन) पदस्थापित किया गया है, को सहायक कलक्टर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है:-

क्र.रा.	नाम	जिला जिसमें पदास्थापित किया जाना है।
1	श्री भंवरलाल	जोधपुर
2	सुश्री भारती दीक्षित	जयपुर
3	सुश्री चिनमई गोपाल	अजमेर
4.	श्री गौरव अग्रवाल	झालावाड
5.	श्री पियूष सामरिया	अलवर
6.	श्री उमर उल जमान चौधरी	भरतपुर
7.	सुश्री शुभम चौधरी	बीकानेर
8.	श्री सुरेश कुमार ओला	उदयपुर


राज्यपाल की आज्ञा से



(डॉ कुंज बिहारी पण्ड्या)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, शासन सचिव राजस्व।
4. निजी सचिव, शासन सचिव राजस्व।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
9. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 16/9/2015 प्रकाशन हेतु।
11. राविरा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग।
13. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव